प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि0नि0 (बे0)/ /2020–21 दिनांक 06 फरवरी, 2021

विषयः कोविड संक्रमण–19 के कारण बंद विद्यालयों को खोलने हेतु दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 56/68–5–2021 दिनांक 05 फरवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत **कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चों हेतु विद्यालय शिक्षण कार्य दिनॉक 10.02.2021 से एवं कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों हेतु शिक्षण कार्य दिनॉक 01.03.2021 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।**

तत्क्रम में परिषदीय एवं निजी विद्यालयों की कक्षाओं के पुनः संचालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु SOP संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए विद्यालय संचालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

(डॉ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0: शि0नि0 (बे0)/77448–61/2020–21 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
10. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
11. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
13. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
14. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, उ0प्र0।

6.2.2021

(डॉ0 सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह)
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों को पुनः खोले जाने के संबंध में निर्देश

भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) का पालन करते हुए बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालयों को पुनः खोले जाने के संबंध में निर्देश निम्नवत् हैं :–

1. प्रदेश के सभी परिषदीय/निजी विद्यालयों के **उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा–6 से 8) की कक्षाओं** को **दिनांक 10.02.2021** से तथा **प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) की कक्षाओं** को **दिनांक 01.03.2021** से संचालित किया जायेगा।
2. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (जिस प्रकार लागू हो) के आधार पर विद्यालयों को पुनः खोलने हेतु स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने के लिए दिशा–निर्देशों का पालन किया जाय :–

(अ) विद्यालय खोलने के पूर्व की तैयारी :–

विद्यालय कैम्पस एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी भंडारकक्ष, पानी की टंकी, किचेन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाईब्रेरी आदि की सफाई एवं विसंक्रमित कराया जाना सुनिश्चित किया जाय :–

1. विद्यालय में हाथ की सफाई की सुविधा क्रियाशील करना।
2. डिजिटल थर्मामीटर, सेनेटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. विद्यालय की परिवहन व्यवस्था आरम्भ किए जाने के पूर्व सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करना।
4. प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टॉफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जाये।

टास्क टीम का गठन करना :–

1. विद्यालय में आकस्मिक सुरक्षात्मक संबंधी तैयारी के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं शिक्षक उत्तरदायी होंगे।
2. **छात्र–छात्राओं के बैठने की व्यवस्थाः–**

- गाइडलाइन्स के अनुसार छात्र–छात्राओं के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाय। यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच–डेस्क हो तो इसे भी 06 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की जाय।
- इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम/कार्यालय/आगत कक्ष में भी 06 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जाय।
- विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न कक्षाओं के अनुसार क्रमवार समय आवंटित करते हुए आने एवं जाने के लिए चिन्हित किया जाय।

- विद्यालय के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाय ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित न हो।
- जहॉ तक सम्भव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक/विद्यार्थी के लिए सुनिश्चित किया जाय।
- प्राथमिक विद्यालय के वर्गकक्ष/बाहरी नोटिस बोर्ड/दिवाल आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने/मास्क लगाने/सेनेटाइजेशन/हाथ सफाई/यत्र–तत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाय।
- विभिन्न स्थलों यथा–आगंतुक कक्ष/हाथ सफाई स्थल/पेयजल केन्द्र/टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 06 फीट की दूरी पर निशान बनाया जाय।

3. विद्यालय की समय तालिकाः–

- प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50 प्रतिशत की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं होगी।
- विद्यालय में कक्षाओं का संचालन निम्न शेड्यूल के अनुसार किया जायेगा –

प्राथमिक स्तर पर –
सोमवार व बृहस्पतिवार को कक्षा–1 एवं 5,
मंगलवार व शुक्रवार को कक्षा– 2 एवं 4,
बुद्धवार व शनिवार को कक्षा – 3

उच्च प्राथमिक स्तर पर –
सोमवार व बृहस्पतिवार को कक्षा – 6,
मंगलवार व शुक्रवार को कक्षा – 7,
बुद्धवार व शनिवार को कक्षा – 8

- विद्यालयों की जिन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, वहॉ पर 2–2 पालियों में कक्षायें संचालित की जायेंगी, इस सम्बन्ध में निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा लिया जायेगा।
- जिन विद्यालयों में नामांकन अधिक है उन्हें दो पाली में संचालित किया जाय तथा प्रत्येक शिफ्ट के समय को परिस्थिति अनुकूल कम किया जा सकता है।
- यदि कक्षा–कक्ष का साईज छोटा हो तो कम्प्यूटर रूम, लाईब्रेरी, प्रयोगशाला आदि का भी उपयोग बैठने एवं 06 फीट की दूरी का पालन करते हेतु उपयोग किया जा सकता है।

4. विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन/बैठक के संबंध मेंः–

- विद्यालय को ऐसे आयोजन से बचना चाहिए, जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव न हो।
- समारोह/त्योहार/खेलकूद आदि के आयोजन से विद्यालय को बचना चाहिए।

- विद्यालय एसेम्बली कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश में विद्यार्थी के कक्षाओं में ही अलग–अलग किया जा सकता है, जिससे कि भौतिक दूरी का पालन किया जा सके।
- कक्षा में नए नामाकंन के समय केवल अभिभावक को ही रखा जाय, बच्चों को अभिभावक के साथ आने से मुक्त रखा जाय।

5. माता–पिता/अभिभावक से सहमतिः–

- छात्र/छात्राओं के विद्यालय उपस्थिति के पूर्व माता–पिता/अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमति ली जाये **(प्रारूप संलग्न है)।**
- यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाये।
- ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्ययन संबंधी प्रगति का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण की व्यवस्था की जाये।

6. चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करनाः–

- विद्यालय या उसके नजदीक स्थल पर स्वास्थ्य कर्मी/नर्स/डॉक्टर/कॉउन्सलर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय, जो छात्रों के शारीरिक एव मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध रहें।
- विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाय।
- यदि विद्यालय में किसी छात्र अथवा स्टॉफ को कोरोना पोजिटिव का संदिग्ध केस पाया जाता है, तो उसे विद्यालय में तत्काल आइसोलेट किया जायेगा और डाक्टर द्वारा परीक्षण किये जाने तक मास्क/फेसकवर सुनिश्चित किया जायेगा व छात्र–छात्राओं की पॉजटिव रिपोर्ट होने की संदिग्धता की स्थिति में प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे के अभिभावक तथा निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जायेगा तथा डाक्टर के परामर्श के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. विद्यालय में उपस्थिति एवं अवकाश संबंधी नीति को पुनर्भाषित किया जायः–

- अधिकतम उपस्थिति के लिए पुरस्कार/मानदेय को हतोत्साहित किया जाय।
- अकादमिक कैलेन्डर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाय।

8. सूचना संकलनः–

- सभी छात्र/अभिभावक/माता–पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति/अद्यतन यात्रा (अंतर्राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय) से संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया जाय।

(ब) विद्यालय खोलने के बाद की तैयारीः–

- कैम्पस एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई के पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाय। विद्यालय के परिसर की प्रतिदिन सफाई की जाये। विद्यालय की सफाई व्यवस्था में विद्यार्थियों को कदापि न लगाया जाय।
- पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थो के निस्तारण, पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय।
- सामान्यतः छूए जाने वाले तल यथा – दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच–डेस्क आदि की निरंतर सफाई एवं सेनेटाईजेशन सुनिश्चित किया जाय।
- सभी अधिगम शिक्षण सामग्री का भी सेनेटाईजेशन किया जाय।
- कचरा का निस्तारण डस्टबिन में किया जाना चाहिए। यत्र–तत्र फेंकने से बचना चाहिए। डस्टबिन साफ एवं पूरी तरह ढका होना चाहिए एवं उचित जगह पर रखा जाना चाहिए।
- हाथ सफाई के स्थल पर साबुन एवं साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए।
- बाथरूम एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं विसंक्रमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- साफ पीने का पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्याार्थियों को घर से पानी की बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
- विद्यालयों में संचालित पुस्तकालय में भी 06 फीट की दूरी का पालन करते हुए बच्चों की उपस्थिति निर्धारित की जाये।

9. छात्र–छात्राओं के सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था :–

- सभी विद्यार्थी एवं विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मी जो कार्य पर आयेंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने का निर्देश दिया जाय, विशेषकर उस समय जब वे क्लास में हों या समूह में कोई कार्य कर रहे हों या प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हों या पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे हों।
- बच्चों को परस्पर, एक दूसरे का मास्क अदला–बदली नहीं करने का निर्देश दिया जाय।
- जहां तक सम्भव हो विद्यालय द्वारा सम्पर्क विहीन उपस्थित पद्धति/ऑनलाईन उपस्थिति प्रक्रिया को अपनाया जाय।
- सभी बच्चों को नाक, आँख, कान, मुंह आदि छूने से बचने एवं कफ सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाय। यत्र–तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाय।
- सभी सफाई स्टाफ/वर्कर के लिए आवश्यक उपकरण यथा–ग्लब्स, फेस कवर/मास्क, हाथ धोने का साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, पेन, भोजन आदि एक दूसरे से साझा नहीं किया जाये।

- विद्यालय संचालन तक कक्षा–कक्ष के दरवाजे यथा आवश्यकतानुसार खुले रखें जायें।
- बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री से रोका जाय।

10. विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्थाः–

- विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन दो बार (एक बार बच्चों को लाने के पहले एवं दूसरी बार स्कूल से प्रस्थान से पूर्व) सेनेटाइज किया जाय।
- विद्यालय बस के चालक/उप चालक को सभी समय भौतिक दूरी बनाए रखने हेतु कहा जाय। यदि आवश्यक हो तो भौतिक दूरी के पालन (06 फीट दूरी) के लिए अधिक बसों को लगाया जाये।
- जहां तक संभव हो बस पर चढ़ने के समय सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाय।
- बिना मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति नहीं दी जाय। बस की सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए।
- विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाना चाहिए और बस में हेन्ड सेनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- वाहन चालक व उसके सहायक से कोविड–19 से संक्रमित न होने व स्वयं एवं उसके परिवार के उचित स्वस्थता संबंधी घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय।

(स) दिव्यांग बच्चों के संबंध में शासनादेश संख्या 2026/68–5–2019 दिनांक 22 जनवरी, 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(द) मध्यान्ह भोजन के संबंध में– मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में निर्धारित कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। उपरोक्त सामान्य प्रोटोकाल के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाये–

- रसोईयों या उनके परिवार के सदस्यों के कोविड–19 से संक्रमित न होने/उनके उचित स्वस्थता संबंधी स्वयं की घोषणा पत्र प्राप्त किया जाये। रसोईयों को विद्यालय में प्रवेश करते हुए हाथों को सैनिटाइज़ कराने व अच्छी तरह से धुलवाने के उपरान्त प्रवेश दिया जाये। सभी रसोईयों को रसोईघर में मास्क पहनना अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार के आभूषणों को पहनने की अनुमति नहीं होगी।
- रसोईघर में प्रयोग किये जाने वाले बर्तनों तथा खाद्यान्न/भोज्य पदार्थो को इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तरह से साफ किया जायेगा।
- भोजन वितरण से पूर्व बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप में निर्धारित दूरी का अन्तराल रखते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाया जायेगा तथा पूर्व निर्धारित स्थान पर उचित दूरी के अनुसार बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से बैठाकर भोजन परोसा जायेगा। बच्चों को हाथ

धुलवाने के बाद उन्हें किसी कपड़े में पोछने के बजाय हवा में सुखाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। भोजन के उपरान्त बच्चों द्वारा पुनः मास्क लगा लिया जायेगा।

- मध्यान्ह् भोजन के पूर्व एवं पश्चात हाथ धुलने के समय भी 06 फीट की दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्टबिन में डाला जाये, पानी निकासी की भी सुद्ढ़ व्यवस्था की जाये, किसी भी स्थिति में पानी एकत्रित नही होने दिया जाये। धोये गये बर्तनों को धूप में सूखाकर रसोईघर में ही रखा जाये। भोजन पकाने में इस्तेमाल किये गये कपड़े, एप्रन, हैडकवर, पोछा आदि को भी साबुन से धो कर धूप में सुखाया जाये।
- मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में निर्धारित कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(ध) प्रवासी मजदूरों के बच्चों के संबंध में शिक्षा निदेशक, बेसिक, उत्तर प्रदेश के पत्रांक शि0नि0(बे0)/22710–23733/2020–21 दिनांक 20 जुलाई, 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

———

6.2.2021

छात्र–छात्राओं की भौतिक उपस्थिति हेतु अभिभावकों से लिये जाने वाला सहमति पत्र

1. विद्यालय का नाम
2. अभिभावक/माता–पिता अपने बच्चे को विद्यालय भेजने हेतु सहमत है अथवा नहीं – हाँ/नहीं
3. छात्र का नाम
4. छात्र की कक्षा
5. छात्र के माता–पिता का नाम व हस्ताक्षर
6. दिनॉक/स्थान

यदि अभिभावक द्वारा अपने बच्चे को विद्यालय भेजने हेतु सहमति दी जाती है तो अभिभावकों से निम्नलिखित सहमति पत्र अनिवार्य रूप से भराया जाना आवश्यक है –

1. कोविड–19 महामारी एक वैश्विक आपदा है जिसका मुख्यतः फैलाव आपसी सम्पर्क से होता है। इस महामारी के कारण लाखों व्यक्ति संक्रमित हुये हैं। सरकार द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों के साथ सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए अपने आवश्यक कार्यों को करने का निर्देश दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबन्ध समिति में लिये गये निर्णय व शासन/विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में विद्यालय द्वारा कोविड–19 के फैलाव को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु विद्यालय कोई ऐसी गारण्टी नहीं लेता कि भविष्य में कोई छात्र–छात्रा एवं अभिभावक इस महामारी से संक्रमित नहीं होगा।
3. अभिभावक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके बच्चे को विद्यालय में आने की तिथि को कोविड–19 से संक्रमित होने संबंधी कोई लक्षण जैसे–शरीर का तापमान 100 डिग्री फारेनहाइट से अधिक होना, सांस लेने में दिक्कत, स्वाद का अभाव, खांसी–जुकाम आदि के कोई लक्षण विद्यमान नहीं हैं।
4. अभिभावक इस बात से सहमत हैं कि यदि उपरोक्त कोविड–19 के लक्षणों में से कोई भी लक्षण बच्चे में पाये जाते हैं तो बच्चे को विद्यालय नहीं भेजेंगे।
5. इसके साथ ही अभिभावकों को यह भी अवगत कराया जाता है कि विद्यालय में बच्चे को भेजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। विद्यालय में बच्चे को भेजने से उसको अथवा उसके परिवार के सदस्यों को या उसके मित्रों को कोविड–19 का संक्रमण होता है तो इस संबंध में विद्यालय की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके साथ ही यदि अभिभावकों द्वारा संबंधित बच्चों की पूर्व के संक्रमण के संबंध में कोई तथ्य गोपन किया जाता है तो संबंधित अभिभावक ही उसके जिम्मेदार होंगे।

माता–पिता/अभिभावक का नाम

पता

हस्ताक्षर